21.11.24 पक्षकारों को पुकार

वादी वकील अनुपस्थित। वादी स्वयं भी अनुपस्थित।

आज न्यायालय समय में पुकार-2 तीन बार आवाज दिलाई जाने एवं आव्हान करने से पूर्व एक बार पुनः आवाज दिलाई जाने के उपरांत भी वादी एवं उनके वकील में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे वाद में रुचि नहीं रखना चाहते है।

लिहाजा वादी एवं उनके वकील की अनुपस्थिति में वाद वादी स्तर पर अदम पैरवी एवं अदम रुचि में खारिज किया जाता है।

पक्षकारों कोमल कुमार सिंह [illegible] [illegible]

ह

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:51 IST
Reason: SelfAttested